भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

E-mail:chtidir@nic.in

2-ए, पृथ्वीराज रोड,
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23793517
फैक्स : 23018740

हिंदी टंकण/आशुलिपि गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में भारत सरकार के मंत्रालयों, उपक्रमों, निगमों, निकायों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए क्रमश: 40 और 80 पूर्ण कार्य दिवसीय हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि का पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण चलाया जाता है । इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों को यथाशीघ्र हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में कौशल प्रदान करना है, ताकि वे हिंदी में भी टंकण और आशुलिपि में दक्षता प्राप्त कर सकें ।

2. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अधीन कोलकाता, मुंबई, बेंगलूरू तथा हैदराबाद में चार उप संस्थान भी हैं । हिंदी टंकण और आशुलिपि के पूर्णकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नई दिल्ली के अतिरिक्त उपर्युक्त चार उप संस्थानों में भी चलाए जाते हैं । इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का वार्षिक कलैण्डर प्रतिवर्ष अक्तूबर-नवम्बर माह में जारी किया जाता है।

3. कंप्यूटर पर प्रशिक्षण की मांग को देखते हुए गहन प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी टंकण एवं आशुलिपि के प्रशिक्षार्थियों को कंप्यूटर पर हिंदी शब्द संसाधन का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात अपने कार्यालय में कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य कर सकें ।

4. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की पूर्णकालिक कक्षाएं नियमित रूप से प्रतिदिन प्रात: 9.30 से सायं 6.00 बजे तक चलाई जाती हैं । प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है । पाठ्यक्रम के अंत में प्रशिक्षार्थियों की परीक्षा, हिंदी शिक्षण योजना के परीक्षा स्कंध द्वारा ली जाती है ।

पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें, पाठ्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी क्रमश: परिशिष्ट । एवं ।। में दी गई है ।

परिशिष्ट-I

प्रवेश हेतु पात्रता

(क) **हिंदी टंकण**

1. सभी अवर श्रेणी लिपिकों अंग्रेजी टाइपिस्टों, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, डाक सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूर संचार सहायकों तथा कर सहायकों आदि के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है ।
2. उच्च श्रेणी लिपिक (यूडीसी), सहायकों, हिंदी अनुवादकों तथा सभी वर्ग के अधिकारियों को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है ।
3. ऐसे कर्मचारी जो हिंदी के साथ मिडिल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि उत्तीर्ण हों, इस प्रशिक्षण में प्रवेश के पात्र हैं ।

(ख) **हिंदी आशुलिपि**

1. सभी वर्ग के अंग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों आदि के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है ।
2. कक्षाओं में स्थान उपलब्ध होने पर ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों/टाइपिस्टों को, जो हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टाइप परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा संबंधित कार्यालय यह प्रमाणित करे कि उनका यह प्रशिक्षण जनहित में है, प्रवेश दिया जा सकता है ।
3. ऐसे कर्मचारी जो हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ आदि उत्तीर्ण हों इस प्रशिक्षण में प्रवेश के पात्र हैं ।

उपर्युक्त प्रशिक्षण हेतु नामित कर्मचारी के संबंध में संस्थान/उप संस्थान द्वारा पहले आओ, पहले पाओ तथा उपलब्ध सीटों के आधार पर पुष्टि पत्र भेजे जाते हैं । पुष्टि पत्र प्राप्त होने पर ही कर्मचारी को प्रवेश हेतु कार्यमुक्त किया जाए । संस्थान अपेक्षा करता है कि उन्हीं कर्मचारियों को नामित किया जाए जिन्हें संबंधित कार्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निश्चित रूप से कार्यमुक्त किया जा सके । किसी भी कर्मचारी को सत्र के मध्य में प्रशिक्षण से वापस बुलाने की अनुमति नहीं दी जाती ।

टिप्पणी: नई दिल्ली स्थित संस्थान में सीमित संख्या में प्रशिक्षार्थियों के ठहरने के लिए निर्धारित दरों पर भुगतान के आधार पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है ।

परिशिष्ट - ।।

पाठ्यक्रमों से संबंधित विस्तृत जानकारी

पाठ्यक्रम

संस्थान के नई दिल्ली स्थित केंद्र में प्रतिवर्ष हिंदी टंकण के पांच तथा हिंदी आशुलिपि के दो सत्र चलाए जाते हैं । दिल्ली से बाहर स्थित उप संस्थानों में प्रतिवर्ष हिंदी टंकण के तीन तथा हिंदी आशुलिपि का एक सत्र चलाया जाता है । प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का वार्षिक कार्यक्रम प्रतिवर्ष अक्तूबर-नवंबर माह में जारी किया जाता है ।

पाठ्य सामग्री

प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षार्थी को पाठ्य सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है ।

पाठ्यक्रमों की अवधि

हिंदी टंकण	:	40 पूर्ण कार्य दिवसीय
हिंदी आशुलिपि	:	80 पूर्ण कार्य दिवसीय

इन दोनों पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षार्थियों की परीक्षा सत्र के अंतिम दिन हिंदी शिक्षण योजन के परीक्षा स्कंध द्वारा ली जाती है ।

परीक्षा शुल्क

केंद्र सरकार के निगमों/निकायों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को अपने कर्मचारियों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु प्रति प्रशिक्षार्थी रु0 50/- परीक्षा शुल्क देय होगा । परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के पक्ष में देना होगा । एक बार परीक्षा शुल्क जमा कराने के बाद किसी भी स्थिति में वह न तो वापस किया जाएगा और न ही उसे अगली परीक्षा के लिए समायोजित किया जाएगा ।

प्रोत्साहन

गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर प्रशिक्षार्थियों को नियमानुसार प्रोत्साहन पुरस्कार तथा वैयक्तिक वेतन दिए जाते हैं । ये सभी प्रोत्साहन संबंधति कार्यालयों द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं ।